Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 209/2014 सी.आई.एस.क्र.– 209/2014

सत्यनारायण मंडल बनाम विशुनदेव मेहता एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
12.11.2025	प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.04.2021 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 3 विन्देश्वरी मेहता की मृत्यु दिनांक 14.06.2020 को हो गयी है परंतु उनकी मृत्यु की जानकारी वादी को प्रतिवादी द्वारा दिनांक 04.03.2021 को दिये गये सूचना के आधार पर हुई जिस कारण से वादी नियत समय के भीतर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः विनम्र निवेदन है कि वाद से प्रतिवादी सं0 3 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान मसोमात कामा देवी, श्याम कुमार मेहता, नवल कुमार मेहता को पक्षकार बनाये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाये। प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन पर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं0 3 विन्देश्वरी मेहता की मृत्यु दिनांक 14.06.2020 को हो गयी है परंतु उनकी मृत्यु की जानकारी वादी को न होने के कारण नियत समय के भीतर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये प्रतिवादी सं0 3 के विधिक वारिसान को अभिलेख पर लाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः वादी के इस आवेदन को न्यायहित में **स्वीकृत** कर वाद से प्रतिवादी सं0 3 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु सम्मन सामग्री दाखिल करें। वाद आगामी दिनांक 28.11.2025 वास्ते सम्मन सामग्री। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	